

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 170-अ]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 19 मार्च 2020 — फाल्गुन 29, शक 1941

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 19 मार्च, 2020 (फाल्गुन 29, 1941)

क्रमांक-4835/वि. स./विधान/2020 . — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 59 के अधीन छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2020 (क्रमांक 3 सन् 2020) पुरःस्थापन के पूर्व जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(चन्द्र शेखर गंगराड़े)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 3 सन् 2020)

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 2) विधेयक, 2020

वित्तीय वर्ष 2020–2021 की सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

- | | | |
|---|----|---|
| संक्षिप्त नाम. | 1. | यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 2) अधिनियम, 2020 कहलाएगा। |
| वित्तीय वर्ष 2020–2021 के लिए राज्य की संचित निधि में से 10,29,07,42,22,000 /— रूपयों का दिया जाना। | 2. | छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां संदत्त तथा उपयोजित की जा सकेंगी, जिनका कुल योग एक लाख दो हजार नौ सौ सात करोड़ बयालिस लाख बाईस हजार रुपये होता है उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सेवाओं के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2020–2021 के दौरान भुगतान किये जाने होंगे। |
| विनियोग. | 3. | इस अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वित्तीय वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी। |

वर्ष 2020-2021 के लिये अनुदानों की मांगों तथा विनियोगों की अनुसूची
(राज्यपाल द्वारा सिफारिश किये गये रूप में)

मांग संख्या	सेवा या प्रशासन जिससे अनुदान की मांग संबंधित है		सम्पूर्ण धनराशि		
			मतदेय	भारित	योग
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
	भारित विनियोग- ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	राजस्व	0	58,55,79,43,000	58,55,79,43,000
..	भारित विनियोग- लोक ऋण	पूंजी	0	48,41,46,99,000	48,41,46,99,000
01	सामान्य प्रशासन	राजस्व	2,64,55,72,000	36,27,30,000	3,00,83,02,000
		पूंजी	52,75,50,000	0	52,75,50,000
02	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	27,15,21,000	0	27,15,21,000
03	पुलिस	राजस्व	49,47,02,23,000	96,00,000	49,47,98,23,000
		पूंजी	1,28,87,66,000	0	1,28,87,66,000
04	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	1,11,30,64,000	0	1,11,30,64,000
		पूंजी	21,55,33,000	0	21,55,33,000
05	जेल	राजस्व	1,95,91,20,000	10,000	1,95,91,30,000
		पूंजी	79,64,000	0	79,64,000
06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	64,91,20,24,000	50,41,000	64,91,70,65,000
		पूंजी	49,30,000	0	49,30,000
07	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	2,91,14,78,000	65,06,35,000	3,56,21,13,000
		पूंजी	2,10,60,000	0	2,10,60,000
08	भू राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व	9,37,11,18,000	15,26,000	9,37,26,44,000
		पूंजी	2,31,46,50,000	0	2,31,46,50,000
09	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	20,74,00,000	10,000	20,74,10,000
		पूंजी	50,00,000	0	50,00,000
10	वन	राजस्व	17,60,91,95,000	10,86,20,000	17,71,78,15,000
		पूंजी	22,04,50,000	0	22,04,50,000
11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	2,16,08,13,000	7,85,000	2,16,15,98,000
		पूंजी	1,32,81,30,000	5,00,000	1,32,86,30,000
12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	20,28,67,60,000	2,30,00,00,000	22,58,67,60,000
		पूंजी	7,03,53,82,000	0	7,03,53,82,000
13	कृषि	राजस्व	40,34,37,68,000	17,50,000	40,34,55,18,000
		पूंजी	15,68,70,000	0	15,68,70,000
14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	4,99,09,00,000	20,00,000	4,99,29,00,000
		पूंजी	10,54,00,000	0	10,54,00,000
15	अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	2,00,38,74,000	0	2,00,38,74,000
		पूंजी	52,00,00,000	0	52,00,00,000
16	मछली पालन	राजस्व	69,30,98,000	20,000	69,31,18,000
		पूंजी	75,00,000	0	75,00,000
17	सहकारिता	राजस्व	2,32,25,74,000	15,000	2,32,25,89,000
		पूंजी	24,00,02,000	0	24,00,02,000
18	श्रम	राजस्व	2,15,84,85,000	20,000	2,15,85,05,000

मांग संख्या	सेवा या प्रशासन जिससे अनुदान की मांग संबंधित है		सम्पूर्ण धनराशि		
			मतदेय	भारित	योग
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	22,33,55,59,000	24,60,000	22,33,80,19,000
		पूंजी	95,48,38,000	0	95,48,38,000
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व	3,37,38,88,000	16,00,000	3,37,54,88,000
		पूंजी	3,01,90,40,000	0	3,01,90,40,000
21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	2,33,48,35,000	0	2,33,48,35,000
		पूंजी	3,81,43,00,000	0	3,81,43,00,000
22	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग - नगरीय निकाय	राजस्व	23,46,12,000	5,000	23,46,17,000
23	जल संसाधन विभाग	राजस्व	6,31,57,58,000	1,10,000	6,31,58,68,000
		पूंजी	4,30,10,95,000	8,55,00,000	4,38,65,95,000
24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	राजस्व	11,90,99,15,000	0	11,90,99,15,000
		पूंजी	14,84,94,05,000	31,01,30,000	15,15,95,35,000
25	खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	3,74,52,46,000	5,00,000	3,74,57,46,000
		पूंजी	1,26,64,03,000	0	1,26,64,03,000
26	संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	44,94,77,000	0	44,94,77,000
		पूंजी	75,00,000	0	75,00,000
27	स्कूल शिक्षा	राजस्व	51,49,80,73,000	50,00,000	51,50,30,73,000
		पूंजी	38,35,90,000	0	38,35,90,000
28	राज्य विधान मंडल	राजस्व	62,11,63,000	67,00,000	62,78,63,000
29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	राजस्व	4,45,70,02,000	95,35,80,000	5,41,05,82,000
		पूंजी	12,90,50,000	38,00,000	13,28,50,000
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	30,56,73,09,000	19,00,000	30,56,92,09,000
		पूंजी	8,68,59,00,000	0	8,68,59,00,000
31	योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	52,00,20,000	40,000	52,00,60,000
32	जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	2,32,96,20,000	10,000	2,32,96,30,000
		पूंजी	5,00,000	0	5,00,000
33	आदिम जाति कल्याण	राजस्व	48,58,73,47,000	10,00,000	48,58,83,47,000
		पूंजी	34,50,000	0	34,50,000
34	समाज कल्याण	राजस्व	94,00,95,000	40,000	94,01,35,000
		पूंजी	10,00,000	0	10,00,000
35	पुनर्वास	राजस्व	2,21,92,000	0	2,21,92,000
36	परिवहन	राजस्व	88,11,42,000	20,50,000	88,31,92,000
		पूंजी	12,76,00,000	0	12,76,00,000
37	पर्यटन	राजस्व	45,50,00,000	0	45,50,00,000
		पूंजी	58,00,00,000	0	58,00,00,000
39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	24,16,30,20,000	50,000	24,16,30,70,000
		पूंजी	79,37,60,000	0	79,37,60,000
40	आयाकट विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	3,32,55,000	0	3,32,55,000
		पूंजी	1,17,52,00,000	0	1,17,52,00,000
41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना	राजस्व	1,57,41,75,28,000	10,000	1,57,41,75,38,000
		पूंजी	31,72,98,25,000	2,15,00,000	31,75,13,25,000
42	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित	पूंजी	9,47,23,00,000	13,25,00,000	9,60,48,00,000

मांग संख्या	सेवा या प्रशासन जिससे अनुदान की मांग संबंधित है		सम्पूर्ण धनराशि		
			मतदेय	भारित	योग
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
	लोक निर्माण कार्य- सड़कें और पुल				
43	खेल और युवक कल्याण	राजस्व	81,70,35,000	30,000	81,70,65,000
		पूंजी	2,69,50,000	0	2,69,50,000
44	उच्च शिक्षा	राजस्व	7,67,35,76,000	70,000	7,67,36,46,000
		पूंजी	12,09,50,000	0	12,09,50,000
45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	राजस्व	86,08,80,000	0	86,08,80,000
		पूंजी	3,62,51,00,000	0	3,62,51,00,000
46	विज्ञान और टेक्नालाजी	राजस्व	23,50,00,000	0	23,50,00,000
		पूंजी	2,00,00,000	0	2,00,00,000
47	कौशल विकास , तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग	राजस्व	3,54,62,78,000	10,000	3,54,62,88,000
		पूंजी	37,45,76,000	0	37,45,76,000
49	अनुसूचित जाति कल्याण	राजस्व	4,80,70,000	0	4,80,70,000
50	बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	3,46,75,000	0	3,46,75,000
51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	राजस्व	13,26,50,000	0	13,26,50,000
		पूंजी	4,50,00,000	0	4,50,00,000
53	अनुसूचित जाति उपयोगान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	21,97,35,000	0	21,97,35,000
		पूंजी	63,90,13,000	0	63,90,13,000
54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय	राजस्व	1,86,30,00,000	0	1,86,30,00,000
		पूंजी	52,20,00,000	0	52,20,00,000
55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	राजस्व	10,83,74,88,000	10,000	10,83,74,98,000
		पूंजी	33,41,50,000	0	33,41,50,000
56	ग्रामोद्योग	राजस्व	1,24,87,54,000	0	1,24,87,54,000
		पूंजी	9,30,20,000	0	9,30,20,000
57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें	पूंजी	1,00,00,00,000	0	1,00,00,00,000
58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	राजस्व	6,95,07,10,000	0	6,95,07,10,000
		पूंजी	20,00,000	0	20,00,000
60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	राजस्व	65,00,000	0	65,00,000
		पूंजी	1,04,00,00,000	0	1,04,00,00,000
64	अनुसूचित जाति उपयोगना	राजस्व	55,15,18,15,000	10,000	55,15,18,25,000
		पूंजी	10,28,19,03,000	0	10,28,19,03,000
65	विमानन विभाग	राजस्व	50,89,27,000	10,000	50,89,37,000
		पूंजी	79,11,60,000	0	79,11,60,000
66	पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण	राजस्व	2,31,53,10,000	0	2,31,53,10,000
		पूंजी	25,73,00,000	0	25,73,00,000
67	लोक निर्माण कार्य - भवन	राजस्व	6,88,51,38,000	86,50,000	6,89,37,88,000
		पूंजी	9,14,81,14,000	0	9,14,81,14,000
68	अनुसूचित जनजाति उपयोगना से संबंधित लोक निर्माण कार्य - भवन	पूंजी	1,65,57,40,000	0	1,65,57,40,000
69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग -	राजस्व	9,06,44,00,000	0	9,06,44,00,000

मांग संख्या	सेवा या प्रशासन जिससे अनुदान की मांग संबंधित है		सम्पूर्ण धनराशि		
			मतदेय	भारित	योग
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
	नगरीय कल्याण				
71	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व	1,25,85,94,000	0	1,25,85,94,000
		पूंजी	65,00,10,000	0	65,00,10,000
75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	पूंजी	6,97,31,00,000	0	6,97,31,00,000
76	लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	पूंजी	7,30,00,00,000	0	7,30,00,00,000
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	9,19,82,62,000	3,20,000	9,19,85,82,000
		पूंजी	1,31,81,37,000	0	1,31,81,37,000
80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	26,76,54,21,000	0	26,76,54,21,000
		पूंजी	1,48,00,00,000	0	1,48,00,00,000
81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	17,45,01,55,000	76,33,91,000	18,21,35,46,000
		पूंजी	5,40,46,68,000	0	5,40,46,68,000
82	अनुसूचित जनजाति उपयोगिता के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	3,60,66,01,000	0	3,60,66,01,000
		पूंजी	1,30,00,00,000	0	1,30,00,00,000
83	अनुसूचित जनजाति उप योजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	51,66,13,000	0	51,66,13,000
		पूंजी	84,18,68,000	0	84,18,68,000
	योग - राजस्व		7,65,81,86,30,000	63,74,82,61,000	8,29,56,68,91,000
	योग - पूंजी		1,50,53,87,02,000	48,96,86,29,000	1,99,50,73,31,000
	वृहद योग		9,16,35,73,32,000	1,12,71,68,90,000	10,29,07,42,22,000

उद्देश्य और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 के खण्ड (1) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुरःस्थापित किया जा रहा है जो वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय और छत्तीसगढ़ सरकार के व्यय के लिये विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है।

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

रायपुर,

दिनांक 2 मार्च, 2020

भूपेश बघेल
मुख्यमंत्री,
(भारसाधक सदस्य)

“संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित”

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा.